कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-65/2016-17/

दिनांक : /01/2016

सेवा में,

जिला पंचायतराज अधिकारी,

टिहरी गढ़वाल

विषय : जिला पंचायतराज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल का वर्ष 2015 से 2016 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग -4 (ब)-1 में 02 भाग-4 (ब)-2 में 04 प्रस्तर तथा STAN के शून्य प्रस्तर हैं इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग 4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरो की परिपालन आख्या सचिव, पंचायतीराज उत्तराखण्ड़ शासन देहरादून एवं भाग-4 (ब)-2 की सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी **(निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड)** के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन का प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 65/2016-17/ दिनांक : /01/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को भाग-4 (ब)-1 के प्रस्तर संख्या 1 की एक प्रति।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 राजपुर रोड़ निकट साई इंस्टीट्यूट, देहरादून।

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2016-17 के लिये जिला पंचायत राज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्री सोना सजवाण — जिला पंचायत राज अधिकारी

श्री मनवर सिहं राणा — अपर मुख्य अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम
(i) श्री सुशील बहुगुण,व.ले.प.अ.
(ii) श्री सतेन्द्र कुमार., स.ले.प.अ.
(iii) श्री हिमाशु शर्मा, स.ले.प.अ.

(स) संप्रेक्षा तिथि 07.11..2016 से 19.11..2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 04/2015 से 03/2016

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **जिला पंचायत राज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल,**

(अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत राज अधिकारी है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या:-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः-

भौगोलिक क्षेत्र : - 3796 वर्ग किमी

जनसंख्या : 616409

2. निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 45
3. (अ) पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 04
4. (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:- बैठक : 06
5. कर्मचारियों की संख्या: 19
6. पंचायतराज की सम्पत्तियां: - दुकान एवं कार्यालय भवन
7. पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट: -
8. योजनाओं की संख्या
9. (अ) सामाजिक संरक्षा: -
   (ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -
   (स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: -
   z(द) लाभार्थियों की संख्या:
10. वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि `-3413160:
11. वर्ष के दौरान कुल व्यय:
    (अ) सामान्यः-
    (ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।
12. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया-

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय **जिला पंचायत राज अधिकारी, जनपद- टिहरी गढ़वाल,** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2015 से 2016 तक की सम्प्रेक्षा श्री सुशील बहुगुण,व.ले.प.अ, श्री सतेन्द्र कुमार, स.ले.प.अ., श्री हिमाशु शर्मा, स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक 07.11.2015 से 19.11.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तरः-

	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग-4 (ब)-I**	**प्रस्तर भाग-4 (ब)-II**	**स्टेन**
1	544/2014-15	02	03	01
2	112/2015-16	01	02	01
		प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग**	
			प्रस्तरों की संख्या	

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर-

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची- शून्य

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख -

भाग 4(ब)-1

प्रस्तर 1:- ` 10.47 लाख धनराशि के निर्माण कार्यों से सर्वनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर का निर्धारण व सग्रहण/कटौती न किया जाना।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग देहारादून की अधिसूचना संख्या/वी/13-35(श्रम)/2011 दिनांक 10 अप्रैल 2013 के अनुसार ढेकेदारों के माध्यम से कराये जाने वाले समस्त प्रकार के निर्माण कार्यो जिनमे दस या दस से अधिक श्रमिक नियोजित हो पर भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकार अधिनियम 1996 (अधिनियम संख्या 28 सन 1996) के अधीन उपकर निर्धारण एवं संग्रहण कर, संग्रहीत उपकर को संग्रह के तीस दिवसो के भीतर सचिव उत्तराखंड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,हल्द्वानी के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जाना चाहिए। कार्यालय मुख्य अभियंता एवं विभागाध्यक्ष प्रकीर्ण वर्ग उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग देहारादून के पत्रांक 1258/1710 वि॰प्र॰/13 दिनांक 11/09/2013 के अनुसार केंद्रीय शैड्यूल आफ रेटस के पुनरीक्षण मे प्रत्येक मद मे 1 प्रतिशत लेबर सेस का प्रावधान किया गया है।

ज़िला पंचायत ,टिहरी गढ़वाल की नमूना संप्रेक्षा के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 ठेके पर दिये गए / प्रारम्भ किए गए ` 10,47.93 लाख के जिलायोजना के 87 निर्माण कार्यो पर श्रम उपकर कि धनराशि का निर्धारण एवं संग्रहण सुनिश्चित नहीं किया गया।

ज़िला पंचायत ,टिहरी गढ़वाल ने उत्तर में बताया कि उनके पास लेबर सेस कटौती संबंधी कोई भी शासनादेश नहीं था तथा वर्तमान में तथा भविष्य में जो भुगतान होंगे उनसे लेबर सेस कटौती कर कर्मकार कल्याण बोर्ड, हल्द्वानी को बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजा जाएगा

उत्तर मान्य नहीं है क्योकि आंगणन में लेबर सेस का प्रावधान था इससे ठेकेदारों को 1 प्रतिशत लेबर सेस के रूप मे अधिक भुगतान हो रहा है ।

प्रकरण प्रतिवेदित किया जा रहा है ।

भाग 4(ब) -I

प्रस्तर 2:- मस्टर रोल पर कराये गए निर्माण कार्यो पर लेबर सैस का न घटाया जाना

कार्यालय मुख्य अभियंता एवं विभागाध्यक्ष प्रकीर्ण वर्ग उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग देहारादून के पत्रांक संख्या 1258/1710 वि॰प्र॰/13 दिनांक 11/09/2013 के अनुसार दिनांक 17/5/2013 को केंद्रीय शैड्यूल आफ रेटस के पुनरीक्षण मे प्रत्येक मद मे 1 प्रतिशत लेबर सेस का प्रावधान किया गया ।

ज़िला पंचायत ,टिहरी गढ़वाल की नमूना सम्प्रेक्षा के दौरान पाया गया कि लेखापरीक्षा मे वित्तीय वर्ष 2015-16 के चयनित मस्टर रोल पर कराये गए 10 कार्य जिनकी आंगणित धनराशि 20,00,000.00 थी का 1 प्रतिशत लेबर सेस 20,000.00 का आगणन 1 प्रतिशत लेबर सेस (` 20,000.00) घटा कर बनाया जाना चाहिए था।

इसे इंगित किए जाने पर ज़िला पंचायत ,टिहरी गढ़वाल के द्वारा बताया गया कि आंगणन बनाते समय भविष्य में 1 प्रतिशत की धनराशि (लेबर सेस) कम की जाएगी।

आंगणन में लेबर सेस का प्रावधान था इससे ज़िला पंचायत के द्वारा निर्माण कार्यो में लेबर सेस के रूप में 1 प्रतिशत अधिक खर्च किया गया जो कि परिहार्य था।

अतः प्रकरण प्रतिवेदित किया जा रहा है ।

भाग-4(ब)2

प्रस्तर 1:- अर्ध कुम्भ मेला के कार्यों में अनियमितायें।

तकनीकी प्रकोष्ठ अर्धकुंभ मेला 2016 हरिद्वार मेला नियंत्रण भवन हर की पैड़ी हरिद्वार द्वारा दिनांक 16-07-15 को तपोवन एवं लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत पथ प्रकाश व्यवस्था के कार्य हेतु ` 51.66 लाख का आंकलन जो जिला पंचायत टिहरी गदवाल द्वारा सूर्या कंपनी की SLE UL 65W I.P. 66 GXT एल ई डी Light (300 र 16,659.55 प्रति नग) एवं SLEFL 20 W IP 6502 एल ई डी Light (8 ` 21,090.73 प्रति नग) की आपूर्ति एवं लगाने का था, औचित्य पूर्ण पाये जाने पर अग्रेतर स्वीकृति हेतु संस्तुत किया ।

उक्त कार्य हेतु निविदा 02-11-2015 को टिहरी गदवाल समस्त विभागाध्यक्षों के नोटिस बोर्डो में लगाने तथा दैनिक जागरण नई टिहरी में छापने हेतु दी गयी जो दिनांक 10-11-2015 के दैनिक जागरण में छपी जिसके खुलने की तिथि 18-11-2015 थी तथा कार्य 15 दिन में पूर्ण हो जाना था। कार्य की अनुमानित लागत ` 49.67 लाख थी।

उपरोक्त के क्रम में चार निविदाएँ प्राप्त हुई जिसके तुलनात्मक विवरण में न्यूनतम निविदा दाता श्री संदीप गुप्ता पुत्र श्री महेशा नंद ,ग्राम व पोस्ट गुमानीवाला , ऋषिकेश पाया गया जो लागत ` 49.67 लाख के विरुद्ध ` 30.72 लाख (लगभग 38 प्रतिशत कम) था। कार्य की महत्ता , कार्य की समय सीमा एवं कार्य सम्पन्न कराने हेतु किसी भी प्रतिवाद से बचने का हवाला देते हुए उक्त निविदा निरस्त कर दी गयी तथा पुनः टिहरी गदवाल के समस्त विभागाध्यक्षों के नोटिस बोर्ड पर तथा दैनिक अमर उजाला एवं दैनिक हिंदुस्तान में छापने हेतु 18-11-2015 को में दी गयी। जिसे समाचार पत्र के 01-12-2015 के अंक में छापा गया निविदा की स्वीकृत लागत ` 49.67 लाख तथा खुलने की तिथि 04-12-2015 थी तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि 15 दिन थी।

पुनः आमंत्रित निविदा में मै. रमन एलेक्ट्रिकल्स, वीरभद्र मार्ग ,ऋषिकेश की निविदा स्वीकृत धनराशि अनुमानित लागत र 49.67 लाख के विरुद्ध र 47.19 लाख (लगभग 5 % कम) तुलनात्मक विवरण में न्यूनतम पायी गयी जिसे स्वीकृत कर दिनांक 08-12-2015 को उसके साथ कार्य सम्पन्न करने हेतु एक अनुबंध गठित किया गया जिसके अनुसार कार्य 22-12-2015 को कार्यपूर्ण किया जाना था।

उक्त कार्य से संबन्धित पत्रावली के अवलोकनार्थ के पश्चात निम्न लेखापरीक्षा टिप्पणिया निर्गत की गई:

1. ठेकेदार द्वारा कार्य 22-12-2015 के स्थान पर 16-03-2016 को लगभग तीन माह बाद पूर्ण करना पाया गया इस प्रकार कार्य अर्ध कुम्भ प्रारम्भ होने के काफी समय बाद पूर्ण हुआ अतः प्रथम निविदा जो 38 % कम पर थी को निरस्त करना औचित्यहीन रहा।

2. प्रथम तथा द्वीतिय अवसरो पर जिस न्यूनतम निविदा दाता को निविदा क्रमश: लगभग 38 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत कम पर स्वीकृत की गयी क्योंकि उनके द्वारा दोनों अवसरों पर वही पैन तथा बिजली ठेकदारी का लाइसेन्स लगाया गया था। इसको देखते हुए गुणवत्ता के आधार पर प्रथम निविदा को निरस्त कर पुनः निविदा मांगना औचित्यहीन रहा।
3. जब केवल मै. सूर्या रोशनी की सामाग्री की आपूर्ति हेतु ही निविदा आमंत्रित की थी तो गुणवत्ता के आधार पर प्रथम अवसर पर निविदा निरस्त करना औचित्यहीन था।
4. ऊपरोक्त बिन्दुओं 1 से 3 को देखते हुऐ 5 प्रतिशत कम (र 47.19 लाख) तथा 38 प्रतिशत कम (र 30.72 लाख) के अंतर ` 16.47 लाख था को देखते हुए ठेकेदार को अनुचित सहायता देने का प्रकरण प्रतीत होता है।
5. गठित करते समय 65 W एल ई डी के मूल्य की गणना ` 13,836.80 के स्थान पर `16,659.55 को लेकर की गई थी परंतु भुगतान से पूर्व उसे सुधार लिया गया था।इससे कार्य कि कुल लागत ` 47.19 लाख से घटकर ` 43.62 लाख रह गई। इससे प्रथम अवसर पर कमी की प्रतिशतता ज्यादा दिखाई पड़ी जिस कारण प्रथम अवसर पर निविदा निरस्त करनी पड़ी ।
6. समाचार पत्रों में निविदा सूचना विलंब से छपी।
7. कार्य हेतु प्राप्त धनराशि ` 47.03 लाख में से बकाया धनराशि जिला पंचायत के पास लेखा परीक्षा तिथि तक पड़ी हुई थी।
8. अनुबंध पत्र में अनुबंध की धनराशि का उल्लेख नही किया गया।

उत्तर में जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल द्वारा बताया गया कि कार्य देरी से पूरा होने के कारण ठेकेदार पर अंकन ` 49,670.00 का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है तथा आंकलन से 38 प्रतिशत कमी को देखते हुए कार्यहित में निविदा को निरस्त करना पड़ा,न्यूनतम निविदाता का दोनों अवसर पर पता तथा जिला पंचायत में पंजीकरण अलग-2 था,समय कम होने के कारण तथा सूर्या का रेट लिस्ट कि उपलब्धता को देखते हुए सूर्या एल ई डी ही मंगाई गयी तथा इस हेतु ही निविदा मांगी गयी,उपरोक्त को देखते हुए ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया जाना नहीं प्रतीत होता।

अनुबंध पत्र पर धनराशिउल्लेख नहीं है परंतु पर कार्यादेश पर धनराशि अंकन कि गयी थी।

बिन्दु 1 से 8 तक निर्गत लेखा परीक्षा टिप्पणिओं को देखते हुए इकाई का उत्तर तर्कहीन है ।

प्रकरण उच्चाधिकारिओं के संग्यान मे लाने हेतु प्रतिवेदित किया जा रहा है।

भाग-4(ब)2

प्रस्तर 2:- दुकानों/आवासों से किराये के रुप में ` 2.77 लाख की लम्बित वसूली।

स्थानीय निकायों की स्थापनों के उद्देशयों में यह स्रोत महत्वपूर्ण है कि निकायों को निजी स्रोतों से प्राप्त आय की वसूली य़तानिर्धारित मानदण्डों के अनुरुप करनी चाहिए जिससे कि निकायो की वित्तपोषक सरकार पर निर्भरता न्यून हो सकें एवं परिक्षेत्र की आच्छादित जनता के कल्याण करने के लिये वे स्वंय सक्षम हो सकें।

जिला पंचायत परिक्षेत्र में स्थित निकाय की दुकानों/आवासों से वसूले जाने वाले किराये सम्बन्धी पंजिका/अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न स्थानों पर कुल 125 दुकानों एवं आवास हैं। किराये सम्बन्धी मांग वसूली पंजिका के अवलोकन में निम्नलिखित विवरण पाया गयाः-

वर्ष 2015-16 के पूर्व तक मांग- ` 2,44,649/-

वर्ष 2015-16 के दौरान मांग- ` 12,57,484/-

वर्ष 2015-16 की कुल मांग- ` 15,02,133/-

वर्ष 2015-16 के के दौरान वसूली- ` 12,24,692/-

वर्ष 2015-16 के अंत तक अवशेष वसूली- ` 2,77,441/-

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि वर्ष 2015-16 में पांच उच्चतम बकायेदार (दुकानदार/आवास किरायेदार) थे जिनका विवरण निम्नलिखित हैः-

1. श्री दिनेश चमोली पुत्र श्री परमानंद- ` 16,000/-
2. श्री पुरुषोत्तम भट्ट पुत्र श्री सोणराम भट्ट- ` 12,000/-
3. श्री अनिल पंवार पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह- ` 10,000/-
4. श्री संदिप बिष्ट पुत्र श्री जोत सिंह- ` 8,000/-
5. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री जगमोहन- ` 7,000/-

उपरोक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि किराये की लम्बित वसूली की कार्यवाही गतिमान है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्षांत किराये की वसूली पूर्ण हो जानी चाहिए।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 3:- विभव एवं संपत्ति कर पंजिका मे 1085 करदाताओ का कर निर्धारण कर कुल लंबित वसूली मे सम्मिलित न किया जाना

विभव एवं संपत्ति कर पंजिका मे कुल करदाताओ का कर निर्धारण कर उसे मांग पक्ष मे सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे कुल मांग के सापेक्ष वसूली एवं लंबित वसूली का आगणन किया जा सके

विभाग के विभव एवं संपत्ति कर पंजिका की जांच मे यह पाया गया कि कुल करदाताओं कि संख्या 2923 थी जिसके सापेक्ष कुल 1838 करदाताओं के द्वारा कर का भुगतान किया गया तथा शेष 1085 करदाताओं के द्वारा कर का भुगतान नहीं किया गया जिन 1085 करदाताओं के द्वारा कर का भुगतान नहीं किया गया उनके कर का निर्धारण विभाग के द्वारा न कर उसे मांग पक्ष मे नहीं दर्शाया गया है जिससे विभाग कि विभव एवं संपत्ति कर कि मांग बहुत कम पाई गई

इसे इंगित किए जाने पर विभाग के द्वारा बताया गया कि कतिपय करदाताओ के द्वारा अपना व्यवसाय बंद कर दिया गया है तथा कुछ करदाता जो विभव एवं संपत्ति कर देते थे उनका व्यवसाय कम होने के फलस्वरूप विभव एवं संपत्ति कर नहीं लिया गया है तथा जो अन्य है उनको नोटिस पत्र भेजे गए है अगर नोटिस से धनराशि प्राप्त नहीं होती है तो भूराजस्व के माध्यम से वसूली कि जाएगी तथा बकाए कि धनराशि का विवरण अंकित कर कुल बकाया का निर्धारण कर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जाएगा

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि विभव एवं संपत्ति कर का निर्धारण के पश्चात ही संबन्धित करदाताओं से वसूली कि प्रक्रिया आरंभ कि जानी चाहिए जबकि विभाग के द्वारा विभव एवं संपत्ति कर का निर्धारण ही नहीं किया गया

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदित किया जा रहा है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 4:- अपूर्ण निर्माण कार्य ` 48.23 लाख।

विभाग के द्वारा निर्माण कार्यो को निर्धारित समयावधि मे पूर्ण किया जाना चाहिए जिससे आमजन को उसका समयोचित हितलाभ हो सके

लेखापरीक्षा दल के द्वारा लेखापरीक्षा हेतु चयनित निर्माण कार्यो कि पत्रवालियों कि जांच मे पाया गया कि निम्न कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक अपूर्ण थे

क्र.स.	कार्य का नाम	आ.धन. (लाख मे)	कार्य प्रारम्भ कि तिथि	कार्य पूर्ण कि तिथि	कार्य पूर्ण हेतु समय बृद्धि
1	रा॰इ॰का॰खरसाड़ी भरपूर मे दो कक्षा कक्ष निर्माण	14.62	08/04/2015	08/07/2015	5 माह
2	मेड के अंतर्गत ओड़ म्यारगाड मे पुलिया निर्माण	12.81	08/04/2015	22/05/2015	5 माह
3	रा॰उ॰मा॰वि॰बैराइगाव मे कक्षा कक्ष निर्माण	14.63	08/04/2015	08/07/2015	7 माह 15 दिन
4	ओलाल गाव के नगुड़ा तोक मे पुलिया निर्माण	6.17	26/05/2015	26/08/2015	3 माह

उक्त कार्यो के लिए किए गए अनुबंध पत्र मे पाया गया कि अनुबंध पत्र कि शर्त संख्या -3 मे दिया गया है कि यदि ठेकेदार समय से कार्य प्रारम्भ नहीं करता है तो ठेकेदार पर आगणन कि धनराशि का 5% से 10% तक का जुर्माना देय होगा एवं अनुबंध पत्र कि शर्त संख्या -6 मे दिया गया है कि यदि ठेकेदार समय से कार्य पूर्ण नहीं करेगा तो ठेकेदार पर आगणन कि धनराशि का 1% से 10% तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा लेकिन उक्त कार्यो कि पत्रवालियों के अवलोकन मे पाया गया कि संबन्धित ठेकेदार पर शर्त संख्या -3,6 के तहत कोई कार्यवाई नहीं कि गई

इसे इंगित किए जाने पर विभाग के द्वारा बताया गया कि सभी कार्य लगभग पूर्ण हो चुके है कार्यो को पूर्ण करने के पश्चात लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा तथा जहा लागू होगा वंहा वसूली सुनिश्चित कि जाएगी तथा कार्य कि स्थिति को देखते हुए अवश्य्क्तानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा समय ब्रद्धि कि गई है

इस प्रकार विभाग के द्वारा स्वीकार किया गया कि कार्य पूर्ण कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा तथा जहा लागू होगा वंहा वसूली सुनिश्चित कि जाएगी।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदित किया जा रहा है ।